

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

संख्या-11/लो0से0आ0-01-03/2020 का0...../राँची, दिनांक- दिसम्बर, 2022

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के संचालन हेतु गठित The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 में कतिपय संशोधन संबंधी झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा एवं निर्णय हेतु श्री एल0 खियांग्ते, अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1	श्री एल0 खियांग्ते, अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची।	अध्यक्ष
2	श्री अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, राँची।	सदस्य
3	श्रीमती वन्दना दादेल, प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची।	सदस्य

उपर्युक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा संबंधित मामले में 15 दिनों के अन्दर अनुशंसा की जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अमर कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-11/लो0से0आ0-01-03/2020 का0.82247/राँची, दिनांक 28 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


28/12/2022
सरकार के उप सचिव।